राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक--एफ(2)आरडी./आरई/नरेगा/हरित/2009 जयपुर दिनांक 6 OCT 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त (राजस्थान)।

विषयः–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आईईसी गतिविधियों में सजावटी एवं व्यक्तिगत प्रचार के विज्ञापनों का भुगतान नही करने बाबत।

महोदय,

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कतिपय जिलों द्वारा ऐसे विज्ञापन जारी किये जा रहे हैं, जिसमें योजना की गतिविधियों की जानकारी नगण्य एवं योजना में संबंधित कार्मिकों/जन–प्रतिनिधियों के व्यक्तिगत नामों का फोटो सहित बड़ा सजावटी विज्ञापन जारी किया जाता है, जिससे धन के अपव्यय के साथ–साथ आम–जन में यह संदेश जाता है कि विज्ञापन किसी व्यक्ति विशेष के प्रचार के लिए जारी किया गया हैं।

ऐसे विज्ञापनों से योजना के उद्देश्यों की कोई पूर्ति नहीं होती है, अतः इस प्रकार विशुद्ध सजावटी एवं व्यक्तिगत प्रचार के सजावटी विज्ञापन जारी नहीं किए जाऐ एवंम् पूर्व में किये गए है तो उनका भुगतान राज्य सरकार की अनुमति से ही किया जावे।

भवदीय

(राजेन्द्र भाणावत)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–
1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त (राजस्थान)।
2. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक, ईजीएस

C:\Documents and Settings\NAG\My Documents\Hemraj mathur.doc